

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :-

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर



फ़ारम : शून्यीकरिती
 फ़ोनमध्य : 0091-(0751) 2442801.
 (कार्यालय)
 2442462 (विभाग)
 फ़ैक्स : (0091-0751-2341768
 E-mail : jiwajidcdc@gmail.com
 Website : <http://www.jiwaji.edu/>

क्रमांक: एफ/सम्बद्धता/2019/ 6257

दिनांक : 28-09-2019

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16 अप्रैल एवं 26 अप्रैल 2019 की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 जून 2019 के पद क्रमांक (01) के गिर्णारानुसार H.I.C.T. COLLEGE, GWALIOR को सत्र 2019-20 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

H.I.C.T. COLLEGE, GWALIOR	B.ED.	100
	M.ED.	50

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

आदेशानुसार

कुलसचिव

नोटिस:-

- उक्त कार्यवाही 30 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण करें, अन्यथा सत्र 2020-21 की सम्बद्धता प्रदान की जाना सम्भव नहीं होगा।
- परिवियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी (यू.जी.सी. के विषयमानुसार) आगामी सत्र में निरीक्षण प्रोफार्मा के साथ दिये गये प्रोफार्मा में मय चयन समिति की अनुशंसा के साथ एवं मैनेजमेन्ट द्वारा नियुक्त शिक्षकों की जानकारी पृथक प्रोफार्मा में भर कर प्रस्तुत करनी होगी तभी ग्राहाविद्यालय को आगामी सत्र की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जावेगा।

प्रति,

1. प्राचार्य, H.I.C.T. COLLEGE, GWALIOR

2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुङ्ग भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ब्यालियर-बंबल संभाग, मोतीगाहल परिसर, ब्यालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ब्यालियर।
5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ब्यालियर की ओर यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्